

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 120 : Appeal not to be filed in certain cases**

- (1) The Board may, on the recommendations of the Council, from time to time, issue orders or instructions or directions fixing such monetary limits, as it may deem fit, for the purposes of regulating the filing of appeal or application by the officer of the central tax under the provisions of this Chapter.
  - (2) Where, in pursuance of the orders or instructions or directions issued under subsection (1), the officer of the central tax has not filed an appeal or application against any decision or order passed under the provisions of this Act, it shall not preclude such officer of the central tax from filing appeal or application in any other case involving the same or similar issues or questions of law .
  - (3) Notwithstanding the fact that no appeal or application has been filed by the officer of the central tax pursuant to the orders or instructions or directions issued under sub-section (1), no person, being a party in appeal or application shall contend that the officer of the central tax has acquiesced in the decision on the disputed issue by not filing an appeal or application.
  - (4) The Appellate Tribunal or court hearing such appeal or application shall have regard to the circumstances under which appeal or application was not filed by the officer of the central tax in pursuance of the orders or instructions or directions issued under sub-section (1).
-

**धारा 120 : कतिपय मामलों में अपील का फाइल नहीं किया जाना**

- (1) बोर्ड, परिषद् की सिफारिशों पर, समय-समय पर आदेशों या अनुदेशों या निदेशों को जारी करके, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय कर अधिकारी द्वारा फाइल की गई अपील या आवेदन के विनियमन के प्रयोजन के लिए ऐसी धनीय सीमाओं को नियत कर सकेगा, जिन्हें वह ठीक समझे।
- (2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय कर के अधिकारी ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया है, वहां यह केन्द्रीय कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में अंतर्वर्तित समान या समतुल्य विवादक या विधि के प्रश्न के विरुद्ध अपील या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा।
- (3) इस तथ्य के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय कर के अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति, जो अपील में या आवेदन में पक्षकार है, यह दलील नहीं देगा कि किसी अपील या आवेदन को फाइल न करके केन्द्रीय कर का अधिकारी विवादित विवादक पर विनिश्चय से उपमत हुआ है।
- (4) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।